निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या / -136/**2017-18**

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ सस्टेन्ट क मश्नर (क0नि0) वा णज्य कर अ धकारी, खण्ड-3, रूड़की द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अ सस्टेन्ट क मश्नर (क0नि0) वा णज्य कर अ धकारी, खण्ड-3, रूड़की के माह 04/2015 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रमेश कुमार केशरी, स.ले.प.अ, एवं श्री एस.एस. दरियाल सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों, एवं श्री रजनीश लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 29.01.2018 से 06.02.2018 तक श्री अ मत कुमार, सहायक महालेखाकार के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

1. <u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री पी.के.गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 11.02.2016 से 20.02.2016 तक श्री राजकुमार लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2011 से 03/2015 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2015 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः – आ र्थक क्षेत्र रूड़की
3. (ii) (अ) राजस्व ववरण

वगत 3 वर्षो मे कार्यालय (आबकारी वभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (लाख मे)
2014-15	772.10
2015-16	1334.98
2016-17	1982.79

(ii)(ब) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:(लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
शून्य								

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन से मुख्यालय को, मुख्यालय से डी0डी0ओ0 द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

स चव, वत्त **>** आयुक्त कर, वा णज्य कर**>** ज्वाइंट क मश्नर, वा णज्य कर**>** डप्टी क मश्नर, वा णज्य कर**>** सहायक आयुक्त , वा णज्य कर**>** वा णज्य कर अ धकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ सस्टेन्ट क मश्नर (क0नि0) वा णज्य कर अ धकारी, खण्ड-3, रूड़की की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:-**

राजस्व**:** माह 10/2015 एवं 03/2017 को वस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित कया गया।

व्यय: माह.....को वस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित कया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-2 (अ)</u>

प्रस्तर-1 कर की गलत दर लागू करने के कारण कर का न्यूनारोपण से राजस्व क्षति `6.85 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम, 2005 की धारा 4(2)(ख)(i)(ख) एवं (घ) के अनुसार अनुसूची II (ख) में वनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में चार प्रतिशत तथा कसी भी अनुसूची में वनिर्दिष्ट नहीं, के सम्बन्ध में 12.5 प्रतिशत की दर से कर देय है । पुनः दिनांक 1.4.2010 से अनुसूची II (ख) में वनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कर तथा कसी भी अनुसूची में वनिर्दिष्ट न होने वाले माल के सम्बन्ध में एक प्रतिशत अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है । पुनः यह दरें दिनांक 28.05.2012 से अनुसूची II (ख) में वनिर्दिष्ट माल के सम्बन्ध में पांच प्रतिशत तथा अवर्गीकृत माल के सम्बन्ध में 13.5 प्रतिशत संशो धत की गई ।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम, 2005 की धारा-57 दिनांक 01.01.2012 के निर्णयानुसार आयरन स्क्रैप से भन्न स्क्रैप पर उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम, 2005 की धारा-4 की उपधारा (2)ए, क्लॉज (बी) के सब क्लॉज (i)(ई) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अवर्गीकृत वस्तुओं की भांति बिक्री के प्रत्येक बिन्दु पर 13.5 प्रतिशत की दर से करदेयता रहेगी ।

पुनः उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम, 2005 की धारा-57 दिनांक 9.4.2010 के निर्णयानुसार Coconut oil की बिक्री पर अवर्गीकृत वस्तुओं की भांति 12.5% (वर्तमान में 13.5%) की दर से करदेयता रहेगी ।

(i) कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर, खण्ड-3, रूड़की के अ भलेखों की जांच में पाया गया क व्यापारी सर्वश्री अंशराज एजेन्सी, रायपुर, भगवानपुर, रूड़की कर निर्धारण वर्ष 2012-13 द्वारा रद्दी गत्ता, प्लास्टिक गुड्स आदि की बिक्री ` 10,68,479 पर 4.5 प्रतिशत की दर से ` 48,081 तथा ` 14,31,711 की बिक्री पर 5 प्रतिशत की दर से ` 70,685 कर आरो पत कया गया, जब क उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम, 2005 की उक्त धारा-57 दिनांक 01.01.2012 के अनुसार आयरन स्क्रैप से भन्न स्क्रैप पर 13.5% की दर से करदेयता है । अतः रद्दी गत्ता, प्लास्टिक गुड्स आदि की बिक्री ` 10,68,479 एवं ` 14,31,711 पर अन्तरीय दर से क्रमशः 9% तथा 8.5% की दर से ` 96,163 एवं ` 1,21,695 कुल ` 2,17,858 कर आरोपणीय है जिसे आरो पत नहीं कया गया ।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया क व्यापारी द्वारा Corrugated boxes, HDPE Bags (Packing Material) की बिक्री की गई है जो

क उ0मू0व0 कर अ धनियम, 2005 की अनुसूची II(B) के क्रमांक 9 पर 5% की दर से अं कत है ।

इकाई का उत्तर इस आधार पर मान्य नहीं है क्यों क व्यापारी के द्वारा रद्दी गत्ते की बिक्री की गई है जिस पर आयरन स्क्रैप से भन्न स्क्रैप की भांति 13.5% की दर से करदेयता है । पुनः वभाग द्वारा लेखापरीक्षा को वांछित प्रपत्र-28 (वक्रय रजिस्टर) भी उपलब्ध नहीं कराया जा सका ।

(ii) व्यापारी सर्वश्री चन्दन एजेन्सीज, मेन बाजार, भगवानपुर, रूड़की कर निर्धारण वर्ष 2012-13 द्वारा कोकोनट आयल की प्रान्तीय बिक्री ` 6,76,905 पर 4.5 प्रतिशत की दर से रु. 30,461 तथा `42,36,148 की बिक्री पर 5% की दर से `2,11,807 कर आरो पत कया गया है जब क उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम, 2005 की उक्त धारा-57 दिनांक 9.4.2010 के अनुसार कोकोनट आयल की बिक्री पर 12.5% (वर्तमान में 13.5%) की करदेयता है । अतः कोकोनट आयल की बिक्री `6,76,905 तथा `42,36,148 पर अन्तरीय दर अर्थात् क्रमशः 9% तथा 8.5% की दर से ` 60,921 तथा `3,60,072 कुल ` 4,20,993 कर आरोपणीय है जिसे आरो पत नहीं कया गया ।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया क 2011 NTN (Vol. 47) Tribunal-125 दिनांक 7 सतम्बर, 2011 को जारी आदेश में नारियल तेल पर 4% की करदेयता निर्धारित कया गया है । अतः उक्त पर 13.5% के स्थान पर 4.5% एवं 5% की ही करदेयता बनती है ।

इकाई का उत्तर इस आधार पर मान्य नहीं है क्यों क आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड के उक्त धारा-57 दिनांक 9.4.2010 के अन्तर्गत निर्णयानुसार coconut oil का उपयोग राज्य में सामान्य रूप से खाद्य तेल के रूप में न होकर हेयर आयल के रूप में होता है । हेयर आयल को उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम के अन्तर्गत वर्गीकृत वस्तुओं की सूची में सम्मि लत नहीं कया गया है । अतः coconut oil की बिक्री के प्रत्येक बिन्दु पर 13.5% की दर से करदेयता होगी ।

(iii) व्यापारी सर्वश्री रिजेन्ट इन्जीनियरिंग, भगवानपुर, कर निर्धारण वर्ष 2012-13 द्वारा मोटर व्हीकल की बिक्री `93,300 पर 5% की दर से कर आरो पत कया गया है जब क उक्त वस्तु उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम, 2005 की कसी भी अनुसूची से आच्छादित नहीं थी । इस प्रकार, सन्द र्भत प्रकरण में

8.5% (13.5-5) की अन्तरीय दर से `7,930 कर आरोपणीय है जिसे आरो पत नहीं कया गया ।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया क व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में मोटर वेहिकल (used) की बिक्री की गयी है । Notification No. 591/XXVII(B) Vanijya Kar (VAT)/2006 Dt. 03.07.2006 के द्वारा Used Motor Vehicle पर 4% की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है ।
इकाई का उत्तर इस आधार पर मान्य नहीं है क्यों क कर निर्धारण आदेश दिनांक 08.03.2016 में स्पष्टतः मोटर वेहिकल की बिक्री दर्शायी गयी है तथा used motor vehicle के सम्बन्ध में इकाई द्वारा कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं कराया गया ।
अतः मोटर वेहिकल की बिक्री पर उपरोक्तानुसार ` 7,930 कर आरोपणीय है ।

(iv) व्यापारी सर्वश्री ए बी सी ले मनेशन, लकेश्वरी, भगवानपुर, रूड़की केन्द्रीय कर निर्धारण वर्ष 2012-13 द्वारा ट्रांसफार्मर कोर की बिक्री `4,46,395 पर 5% की दर से `22,320 कर आरो पत कया गया है जब क ट्रांसफार्मर कोर अवर्गीकृत वस्तु होने के कारण 13.5% की दर से कर आरोपणीय है । अतः ट्रांसफार्मर कोर की बिक्री `4,46,395 पर अन्तरीय दर अर्थात् 8.5% की दर से `37,944 कर आरोपणीय है जिसे आरो पत नहीं कया गया ।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कये जाने पर इकाई द्वारा आप त्त को स्वीकार करते हुये बताया गया क जांचोपरान्त कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से अवगत करा दिया जायेगा ।

अतः उपरोक्त प्रकरण (i) से (iv) उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-1 नियमानुसार कार्यवाही न कए जाने के कारण `65.75 करोड वसूली न कया जाना।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम, 2005 की धारा 18 की उपधारा 1 (VII) (छ) के अनुसार कोई ब्यौहारी इस अ धनियम के अधीन देय कोई कर (कोई अर्थदण्ड या ब्याज सहित) देय तारीख से तीन माह की अव ध के भीतर भुगतान करने में असफल रहता है, तो पंजीयन का निरस्तीकरण कर सकता है।

उत्तराखंड मूल्य व र्धत कर नियमावली के नियम 11 के अनुसार ब्यौहारी, जिनका पूर्ववर्ती वर्ष में 25 लाख से अ धक का आवर्त रहा है त्रैमा सक, जून 30, सतम्बर 30, दिसंबर 30 और मार्च 31 को समाप्त होने वाले त्रैमास के लए उत्तरवर्ती माह की 25 तारीख तक साव धक ववरणों को प्रस्तुत/दा खल की जाएगी । यदि कर निर्धारक अ धकारी द्वारा उक्त साव धक ववरणों की गंभीरता से जांच कया जाता और धारा 34 की उपधारा (21) के अनुसार कर निर्धारण अ धकारी इस अ धनियम के अधीन कसी ब्यौहारी को कसी प्रपत्र या प्रमाण पत्र जारी करने से मना कर देता और ब्यौहारी द्वारा परिवहन कए जा रहे माल को अ भगृहीत कए जाने का आदेश देता, जिससे इस अ धनियम के उपबंधों के अधीन कोई कर, ब्याज या कोई अन्य धनरा श वसूला जाना हो, तो अवश्य ही इतनी अ धक बकाया वसूला जाना शेष न होता।

कार्यालय सहायक कर आयुक्त, खंड -3 रूडकी की लेखा परीक्षा के दौरान बकाया धनरा श से संबन्धित अ भलेखो की जांच में पाया क ब्यापारी श्रीजी इन्टरनेशनल पर कर निर्धारण वर्ष 2012-13 और 2013-14 में (क्रमशः `599808079.00 एवं `1000000.00) कुल `60,08,08,079.00 कर आरो पत कया गया था, कुल 43 ब्यापरियों से बकाया `65,75,13,605.00 वसूला जाना है (ववरण संलग्न)। धारा 34 का उपधारा (4) के अनुसार प्रश्नगत बकाया धनरा श पर 15 प्रतिशत ब्याज आरो पत कर वसूला जाना भी अपे क्षत रहेगा। इसे इं गत करने पर बिभाग ने उत्तर में बताया की मांग/बकाया की आर.सी. भेजी गई है बकाया जमा होने पर अवगत करा दिया जाएगा ।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यो क वभाग द्वारा व्यापारियों के द्वारा प्रस्तुत त्रैमा सक ववरणों की जांच गंभीरता से की जाती और यथा समय कर निर्धारण की जाती तो, प्रश्नगत

बकाया धनरा शयाँ वसूल ली जाती। ले कन वभाग के द्वारा उल्लि खत नियमावली/ अ धनियम के नियम/धाराओ के अनुसार कार्यवाही न कए जाने के कारण बकाया रहा है। अतः यथा नियमानुसार कार्यवाही न कए जाने के कारण `65.75 करोड बकाया वसूली न कए जाने का प्रकरण उच्चा धकारियों एवं शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर-2 देय कर वलंब से जमा करने पर अर्थदण्ड `0.86 लाख/- का अनारोपण।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम, 2005 की धारा 58 की उपधारा 1 (VII) (क) के अनुसार यदि अ धनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं कया गया तो देय कर का कम से कम 10 प्रतिशत, कन्तु अ धक से अ धक 25 प्रतिशत, यदि कर ₹10000 तक हो, और देय कर का 50 प्रतिशत यदि कर ₹10000 से अ धक हो अर्थदण्ड का दायी होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर, खण्ड-3, रुड़की के अ भलेखों की नमूना जांच में पाया क निम्न ल खत व्यापारियो के द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2012-13 में स्वीकृत कर ` 8,61,684.00 वलम्ब से जमा कया गया था। स्वीकृत कर वलम्ब से जमा करने पर न्यूनतम 10 प्रतिशत की दर से ` 86,168.40 का अर्थदण्ड आरोपणीय था, जो वभाग द्वारा आरो पत नहीं कया गया। इस प्रकार व्यापारियों पर ` 86,168.00 अर्थदण्ड आरोपणीय है (ववरण संलग्न)।

इसे इं गत करने पर वभाग ने लेखा परीक्षा आप त्त को स्वीकारते हुये उत्तर दिया क व्यापारियों को नोटिस भेजकर कार्यवाही कए जाने के उपरांत अवगत कराया जाएगा ।

"संलग्न ववरण"

स्वीकृत कर की धनरा श बिलंब से जमा

क्रम संख्या	ब्यापरी का नाम	माह	धनरा श	देय ति थ	जमा करने की ति थ	अर्थदण्ड
1	M/S A-Z Private Ltd. (2012-13)	मार्च 2013	29726	अप्रैल 2013	05.06.2013	2972.6
2	M/S A.P. Foils Private Ltd. (2012-13)	जून 2012	97686	जुलाई 2012	29.08.2012	9768.6
	-Do-	सतम्बर 2012	108978	अक्टूबर 2013	07.01.2013	10897.8
	-Do-	दिसंबर 2012	136337	जनवरी 2013	22.02.2013	13633.7
3	M/S Pragati Tractor (2012-13)	मार्च 2013	232082	अप्रैल 2013	18.07.2013	23208.2
4	M/S Regent Engg. (2012-13)	सतम्बर 2012	133505	अक्टूबर 2012	30.12.2012	13350.5
5	Ansh Raj Agency (2012-13)	जून 2012	78300	जूलाई 2012	05.09.1012	7830
	-Do-	सतम्बर 2012	45070	अक्टूबर 2012	30.01.2013	4507
		योग	8,61,684			86,**168.40**

भाग-**III**

राजस्व से संबंधत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
43/2011-12	-	3,5
42/2015-16	-	3

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या :

व्यय से संबंधित वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण : शून्य

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबंधत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय कार्यालय अ सस्टेन्ट क मश्नर (क0नि0) वा णज्य कर अ धकारी, खण्ड-3, रूड़की तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये: शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री वजय कुमार	अ सस्टेन्ट क मश्नर
(ii)	सुश्री पूनम,	अ सस्टेन्ट क मश्नर

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय अ सस्टेन्ट क मश्नर (क0नि0) वा णज्य कर अ धकारी, खण्ड-3, रूड़की को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र